पत्रावली

पेश हो।

07/7/25

11/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 22/08/25 को पेश हो। 11/7/25
22/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 09/09/25 को पेश हो।
09/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र u/s 212 RT r.w.O. 39 R1&2 CPC दिनांक 29/09/2025 को पेश हो। 09/09/25
29/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT r.w.O. 39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया। प्रकरण u/s 212 RT act में adjudicate करने के लिये निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँच आवश्यक है :- (अ) prima facie case :-

आवे० प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम सेवनीमाजनी की बंदोबस्त आराजी खाता सं० 38 के ख० नं० 142 रकबा 2.1372 हैक्टे० प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध नहीं होने पर भी जबरन रास्ता कायम करने पर आमादा है जबकि अप्रार्थीगण की आराजी ख० नं० 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97 व 141 तक पहुंचने हेतु गैर मु० रास्ता ख० नं० 54 से लेकर ख० नं० 93 व 140 से होकर पहुंचता है। अप्रार्थीगण द्वारा सनातनी रास्ते को छोड़कर प्रार्थीगण की आराजी ख० नं० 142 की पश्चिम मेड़ के सहारे से नया रास्ता बनाकर प्रार्थीगण के हक व अधिकारों का उल्लंघन एवं अतिक्रमण करने पर आमादा है अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अप्रा० अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजी ख० नं० 142 की पश्चिमी मेड़ एवं ख० नं० 135 व 136 की पूर्वी मेड़ के सहारे वर्षों से सनातनी [illegible] रास्ता बना हुआ है और अप्रार्थीगण [illegible] ग्रेवल सड़क भी बना [illegible] है [illegible] प्रार्थीगण जबरन बंद करने पर आमादा है अप्रार्थीगण के आवेदन पर राजस्व टीम, रायपुर द्वारा मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला ब्यावर

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व आहकाम हुक्म की में जारी
	रिपोर्ट दिनांक 13/2/2023 तैयार की जो मय तार के पेश है। मौका रिपोर्टानुसार ख0नं0 142 की पश्चिमी मेड पर एक गाड़ी गडार रास्ता बना होना और अप्रार्थीगण के साथ-साथ अन्य लोगो द्वारा आने जाने के लिए उपयोग-उपभोग करना बताया गया है। प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय से प्राप्त एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ मे पुलिस, रायपुर से सांठगांठ कर बलपूर्वक प्रचलित रास्ते पर भी तारफेंसिंग कर ली और बर्षो पुराने प्रचलित रास्ते को बंद कर दिया है जिसके सम्बध मे The easement Act मे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध civil court मे सुखाधिकार का वाद (suit) पेश किया है जिसमे कोर्ट द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की थी। मौका कमिश्नर रिपोर्ट Dt 22/3/2025 मे भी उक्त रास्ते को प्रचलित रास्ता बताया है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश फोटोग्राफ रास्ते के photograph से भी स्पष्ट है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। बहस उभय पक्ष के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक [illegible]। उभय पक्ष इस तथ्य को [illegible] रिकार्ड से भी स्पष्ट है कि [illegible] खाते दर्ज है जबकि ख0 नं0 87, 88, [illegible], 90, 91, 92, 94, 141 अप्रार्थीगण व अन्य की सहखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रार्थीगण का बयान है कि अप्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में, ग्राम सेमलीमवासी के लट्ठा नक्शा एवं online नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच हेतु भंडार-सेमली मवासी-कालीतलाई डामर सड़क से झीकड़िया को जाने वाले मुख्य रास्ते (ख० नं० 54 किस्म गै० मु० रास्ता) से ~~अप्रार्थीगण की भूमि~~ ख० नं० 93 रकबा 0.2150 हैक्टे व ख० नं० 140 [illegible] किस्म गै० मु० रास्ता चालू है।

अतः वादग्रस्त आराजी ख० नं० 142 के प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी होने तथा अप्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच हेतु रिकार्डेड रस्ता (ख० नं० 93 व 140 गै० मु० रास्ता) उपलब्ध होने से प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है - यह निर्धारण करना भी आवश्यक है और इसके लिए प्रार्थीगण को यह साबित करना होगा कि उन्हें होने वाली संभावित अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है तथा निषेधाज्ञा नहीं देने से प्रार्थीगण को होने वाले नुकसान की तुलना में अप्रार्थीगण का नुकसान फायदा कम होगा। यह साबित है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि ख०नं० 142 के recorded Khatedar ten[illegible] हैं और अप्रार्थीगण की भूमि तक Recorded approach way (ख०नं० 93 व 140) उपलब्ध है [illegible] को प्रार्थीगण के खाते की भूमि ख०नं० 142 की परिधि मेड़ के सहारे नया रास्ता (New way) देना ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण के khatedari rights का उल्लंघन / अतिक्रमण होना बताकर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी कारित होगी। अप्रार्थीगण की किसी भी खातेदारी भूमि से होकर केवल सुविधा (convenience) के रास्ता नहीं दिया जा सकता है। वादग्रस्त रास्ते को लेकर सुखाधिकार (easement right) के लिये civil court pidawa में लंबित दीवानी प्रकरण 16/2024 में पेश मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 22/09/2025 एवं नजरी नक्शा मौका दिनांक 22/3/25 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की भूमि ख०नं० 141, 140, 94, 90, 87 में मौके पर पश्चिमी मेड के सहारे गाड़ी गडार (कच्चा रास्ता) बना हुआ है लेकिन प्रार्थीगण की भूमि ख०नं० 142 में मुख्य सड़क (भंडार - सेमलीभवानी - कालीतलाई डामर सड़क) से घुसते ही बिन्दु 'A' से 'D' तक दावड़ी पत्थरों का ढेर लगा होकर कांटो से बाड़ बनी हुई है, फिर बिन्दु 'A' से 'F' तक एक ओर रामनाथसिंह का मकान है तो दूसरी तरफ 1-2 फीट मेड की खाली जगह को छोड़कर लहसुन की फसल खड़ी हुई थी। बबूल के मेड पर 2-3 पेड़ खड़े हुए है। फिर बिन्दु 'F' से 'S' तक करीब 50 फीट लम्बाई में ग्रेवल डाली हुई थी जिसमें भी लहसुन की फसल खड़ी थी। फिर आगे कोई गडार नहीं होकर लहसुन की फसल काश्त हो रही थी। इस मौका कमिश्नर रिपोर्ट Dt 22/9/2025 में ख०नं० 141 की पश्चिमी मेड से होकर [illegible] प्रचलित गाड़ी गडार रास्ता नहीं बताकर लहसुन [illegible] फसल खड़ी होना बताया है।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश भू० अभि० नि० कालीतलाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की मौका रिपोर्ट दिनांक 13/2/2023 मे ख0न0 142 की पश्चिमी मेड़ पर गाड़ी गडार बना होना बताया है और कुछ भाग पर ग्रेवल डला होना बताया है लेकिन प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण ने जबरन रास्ता बनाने के लिये रात (night) में चोरी-छुपे ट्रेक्टरी से ग्रेवल डालकर रास्ता बनाने का प्रयास किया तो प्रातः होने पर प्रार्थीगण ने जाकर रुकवाया और थाने में रिपोर्ट की।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज दिनांक 25/3/2025 को पेश photographs में गाड़ी गडार रास्ता तो दिखाई दे रहा है लेकिन इन फोटोज पर ना तो ख0न0 अंकित है और ना ही भूमि के Latitude and Longitude अंकित है ना ही गवाहों द्वारा इन्हे तस्दीक कराया गया है अतः उक्त photographs से यह साबित नहीं है कि ये ख0न0 142 (प्रार्थीगण की भूमि) से बने किसी रास्ते/गडार के है।

It is also well settled legal position that no recorded way or approach way is granted in an application u/s 212 RT Act or O39 R1&2 CPC. माननीय राजस्व मंडल ने 2008(2) RRT 1221 उनवान Hari Singh V/s Sitarani & ors एवं 2009(2) RRT 1406 उनवान Himsingh V/s Kishanlal & Ors. में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया [illegible]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय [illegible] 1992 AIR SCW 3128 उनवान Dalpat Kumar V/s Prahlad Singh, 1995 AIR SCW 1439 उनवान Mahadeo Savlaram Shelke and Ors. V/s Puna Municipal

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या ...
	Corporation, 1999 AIR SCW 3050 उनवान Colgate Palmolive (India) Pvt Ltd v/s Hindustan Unilever Ltd तथा सं. 9479/2005 उनवान Seema Arshad Zaheer & Ors v/s Municipal Corporation of Greater Mumbai में प्रतिपादित सिद्धान्तों (039 R 182 (pc)) के परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- हस्तगत प्रकरण में prima facie case एवं सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। यहाँ अपूरणीय क्षति से तात्पर्य ऐसी क्षति या नुकसान से है जो मौद्रिक मुआवजे से ठीक नहीं किया जा सकता है। अतः अगर किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के कृत्य से इस प्रकार की क्षति होती है कि अदालत इसे ठीक करने के लिऐ मौद्रिक हर्जाने के अलावा अन्य कोई उपाय जैसे निषेधाज्ञा आदि का आदेश जारी कर सकती है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि ख0 नं0 142 के recorded Khatedar है और अप्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने हेतु दो रिकार्डेड रास्ते ख0 नं0 93 एवं ख0 नं0 140 उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को निजी खाते की भूमि से अलग कोई अन्य सुविधा जनक रास्ता कायम [illegible] का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई [illegible] प्रचलित आम रास्ता है तो अप्रार्थीगण धारा 25 [illegible] में तहसीलदार रामपुर के समक्ष प्रा0 पत्र पेश कर सकते है या धारा - 251 A RT में SDO court में प्रा0 पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

कर सन्तोष ले सकती है। अतः प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होना साबित है।

2. उपरोक्त विवेचन, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों के सन्दर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-212 एवं सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति कारित होना - तीनों प्रार्थिया के पक्ष में साबित है।

3. परिणामतः प्रार्थिया का प्रा० पत्र० u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R1 & 2 CPC स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थिया को वाईसलामुलवाड इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सेमलीमवाली की प्रार्थिया की भूमि ख० न० 142 से होकर कोई भी रास्ता कायम नहीं करे। ना ही प्रार्थिया के कब्जे काश्त में कोई दखल देवे। अप्रार्थीगण 12 कोरोबार सरकार को आदेश दिया जाता है कि सरकारी रास्ते ख० न० 93 व ख० न० 140 पर किसी ने कहीं कोई अवरोध उत्पन्न कर रखा हो तो आदेश की तारीख से 01 माह के अन्दर ग्राम पंचायत सुवांस के सहयोग से अन्तर्गत धारा-251 RT Act ... सुनिश्चित करे। प्रकरण ... होकर नम्बर से कम होवे ... सलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner